General Dy. PTC JK
Dy. No. 14021
Date 18/8/17

ज॰ सू॰ अ॰ मामला/त्वरित

कार्यालय उपायुक्त पुलिस एवं जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय: दिल्ली

कार्यालय पता – आठवां तल, एम॰एस॰ओ॰ बिल्डिंग, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-312/अपील/2017/30574-614 /ज॰सू॰अ॰ सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक 14/8/17

सेवा में,

समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी
दिल्ली पुलिस, दिल्ली/नई दिल्ली

विषय: श्री राम किशोर, म.न.T-2311, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 का अपील स्थानान्तरण करने के सन्दर्भ में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे सलग्न अपील दिनांक Nil श्री राम किशोर, म.न.T-2311, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसका सम्बन्ध आपके कार्यालय से है इसलिए जिसकी प्रतिलिपि आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु स्थानान्तरण की जा रही है । इस कार्यालय के पत्र संख्या XXIV/Spl./ID-2028/2017/17743-87/RTI Cell/PHQ, dated 19.05.17 के सन्दर्भ में ।

भवदीय,

(मीना मायरु)
सहायक जन सूचना अधिकारी,
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्स्ट.30079

संलग्न-यथाउपरोक्त

सं./चौबीस/29/विशेष/ID-312/अपील/2017/ /ज॰सू॰अ॰ सैल/पुलिस मुख्यालय/दिनांक

प्रतिलिपि-

1. श्री राम किशोर, म.न.T-2311, फैज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 को सूचनार्थ हेतु।
2. I/C Appeal Desk/RTI Cell/PHQ को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(मीना मायरु)
सहायक जन सूचना अधिकारी
पुलिस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस
फोन-23762616 एक्स्ट.30079

P/PTC
VP/PTC
ACP/HQ
Insp. Admn.
Branch RTI Cell

RTC 2018

सेवा में 2

श्री मान प्रथम अपीलेट अधिकारी जी
प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय
झरोदा कलां नई दिल्ली - 110072 9792

विषय: RTI की प्रथम अपील ~~——~~ 11/08/12

By No. 3963 ... Dated 10/8/12

महोदय जी,

निवेदन इस प्रकार है कि मैंने RTI के तहत आपके कार्यालय से कुछ ~~जानकारी~~ जानकारी मांगी थी जिसका जवाब मुझे उचित प्रकार व स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। जिससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ इसलिए मेरे सवालों का जवाब ठीक प्रकार से दिया जाए।

नोट: प्रथम अपील के जवाब हिन्दी व सरल भाषा में दिया जाए।

धन्यवाद

ACP/RTI

DCP HQ

राजकिशोर
नाम: राजकिशोर
पता - T-2311
... रोड
नई दिल्ली
110005

<u>कार्यालय जन सूचना अधिकारी, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय व स्कूल, झड़ौदा कलां नई दिल्ली</u>

स(ID-100/17) /सूचना अधिकार प्रकोष्ठ/पु०प्र०कॉ० झड़ौदा कलां, दिल्ली दिनांक /2017

श्री राम किशोर,
पता:- T-2311, फैज रोड,
करोलबाग, दिल्ली ।
पिन-110005

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना ।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा दाखिल आवेदन पत्र दिनांक शून्य जोकि इस कार्यालय में दिनांक 01.05.2017 को सहायक जन सूचना अधिकारी/स्थापना/पुलिस मुख्यालय दिल्ली पुलिस दिल्ली के पत्र संख्या 24/29/विशेष/आईडी-2028/2017/14418-61/ जन सूचना अधिकारी सेल /पु.मु. दिनांक 25.04.2017 से प्राप्त हुआ था जिसकी आवश्यक प्रविष्टि न. DEPOL/R/2017/10990 से RTI MIS-Request/Appeal Management Information System में की गई है का सन्दर्भ ग्रहण करें । इस संस्थान व इसकी शाखाओं के संबंधित कार्यालयों (सूचना के मूल आपूर्तिकर्ता) से प्राप्त आख्या के आधार पर बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है:-

प्र. सं.	उत्तर / सूचना
1 से 5	आपके द्वारा वांछित सूचना इस संस्थान से संबंधित नही है ।
6.	विजिलेंस सप्ताह जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है / यदि कोई व्यक्ति स्थानीय पुलिस के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला विजिलेंस शाखा या विजिलेंस मुख्यालय में अपनी शिकायत दे सकता है /
7.	विजिलेंस सप्ताह विजिलेंस मुख्यालय के आदेश पर मनाया जाता है / समय, तारीख व खर्च का ब्यौरा विजिलेंस मुख्यालय दे सकता है /
8 से 15	आपके द्वारा वांछित सूचना इस संस्थान से संबंधित नही है ।
16	प्रश्न में वांछित सूचना की समयावधि नही दी गयी है ।
17	आपके द्वारा वांछित सूचना इस संस्थान से संबंधित नही है ।
18	दिल्ली पुलिस में पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय में तैनात रहे एक कर्मचारी पर यौन शोषण का आरोप लगा था जिसमें गृह मंत्रालय / जी एन सी टी दि० ने उसमें विभागीय कार्यवाही की गयी थी / राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नही कराया गया था /
19 से 31	आपके द्वारा वांछित सूचना इस संस्थान से संबंधित नही है ।
32.	पुलिस प्रशिक्षण महा विद्यालय में परिसर की सफाई के लिए हर सप्ताह स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी प्रशिक्षु हिस्सा लेते है व श्रमदान से परिसर की सफाई रखी जाती है / उच्च अधिकारी भी साफ-सफाई का निरीक्षण करते है / इस संस्थान को स्वच्छ भारत अभियान के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नही की गयी /

सेवा में

श्री मान प्रथम अपील अधिकारी जी
उपायुक्त पुलिस, टी-रायट सैल
P.T.S. मालवीय नगर, नई दिल्ली 9792

विषय: RTI की प्रथम अपील 11/08/12

Dy No. 3962 Dated 10/8/12

महोदय जी

निवेदन इस प्रकार है कि मैंने RTI के तहत आपके कार्यालय से कुछ जानकारी मांगी थी। जिनका जवाब मुझे उचित प्रकार व स्पष्ट रूप से नही दिया गया है जिससे मैं सन्तुष्ट नही हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब ठीक प्रकार से दिया जाए।

अतः सारे जवाब हिन्दी व सरल भाषा मे दिया जाए

धन्यवाद

ACP/RTI

DCP/HQ

राम किशोर
नाम: रामकिशोर
पता: T-2311
Faiz Road
Karol Bagh

कार्यालय जनसूचना अधिकारी:एंटी रॉयट सैल
पी.टी.एस. मालवीय नगर, नई दिल्ली

संख्या [illegible] आई.डी.-43 201 /एंटी-रॉयट सैल दिनांक [illegible]

सेवा में,

श्री राजकिशोर,
पता: टी-2341, कैंप रोड,
करोल बाग, नई दिल्ली-05

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरलिखित विषय के संदर्भ में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक शुल्क इस शाखा को दिनांक 27/04/17 को सहायक जन सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या आईडी-2028/2017/14416-61/जसूअ० सेल पुलिस मुख्यालय दिनांक 25/04/17 को प्राप्त हुआ।

आपके द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर इस सैल से संबंधित क्रमशः इस प्रकार से है

बिंदु-1 से 15 व 19 से 35	यह बिंदु इस सैल से संबंधित नहीं है।
बिंदु-16	इस संदर्भ में इस सैल से सूचना शून्य समझी जावे।
बिंदु-17	यह बिंदु पुलिस मुख्यालय से संबंधित है।
बिंदु-18	इस संदर्भ में इस सैल का यह कहना है कि यह सैल दिल्ली पुलिस का गैर-अनुमोदित सैल है। इस सैल में बहुत कम संख्या में पुलिस कर्मी तैनात है, जिनकी एलोकेशन विभिन्न जिले/ईकाईयों से है। यहाँ पर अन्य जिले/ईकाईयों की तरह कोई प्रशासनिक शाखाऐं भी नहीं है। यहां के कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड भी उनके एलोकेटिड जिले/ईकाईयो में व्यवस्थित किया जाता है। आप के द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर वो जिले/ईकाईयों द्वारा स्वयं प्रेषित किये जाऐंगे, जहां पर यहाँ के कर्मचारियों की एलोकेशन है। आपका यह प्रार्थना पत्र पुलिस मुख्यालय द्वारा संबंधित जिले/ईकाईयों के जनसूचना अधिकारी व उपायुक्त पुलिस को उपरोक्त संख्या से भिजवाया गया है।

इस पत्र के संदर्भ में यदि प्रथम अपील उचित हो तो इस कार्यालय के लिये नियुक्त अपीलीय अधिकारी उपायुक्त पुलिस, एंटी-रॉयट सैल, पीटीएस, मालवीय नगर, नई दिल्ली, को इस पत्र के मिलने से 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

[signature] 24/05/17

जनसूचना अधिकारी

2029

DEPOL/R/2017/10566

कार्यालय जन. सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त पुलिस, द्वितीय वाहिनी, दिल्ली सशस्त्र पुलिस,नई पुलिस लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009.

संख्या   /सू.अधि.प्रकोष्ठ(आई.डी.-072)/द्वितीय वाहिनी दि.स.पु., दिल्ली दिनांक ___/17

सेवा में

श्री रामकिशोर

पता – टी- 2321- फैज रोड ,

करोल बाग – नई दिल्ली , 110005

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

महोदय

आपका पत्र दिनांक शून्य जो इस कार्यालय में दिनांक 27.04.2017 को पत्र संख्या **ID-2028/2017/14418-61/RTI Cell/PHQ**, दिल्ली दिनांक 25.04.2017 से प्राप्त हुआ है। जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत इस कार्यालय से संबंधित प्रश्नों का जवाब इस प्रकार से है: -

बिन्दु 1 से 15, 17,19 से 26 व 29 से 35	इस वाहिनी से संबंधित नहीं है ।
बिन्दु 16,18,27 व 28:	इस वाहिनी से वांछित सूचना शून्य समझी जाये ।

4/5/17

स.ज.सू.अधि./ सहायक आयुक्त पुलिस, मुख्यालय/
द्वितीय वाहिनी, दिल्ली सशस्त्र पुलिस, दिल्ली।

उपरोक्त उत्तर के संदर्भ में सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारी- अतिरिक्त आयुक्त पुलिस / दिल्ली सशस्त्र पुलिस, नई पुलिस लाईन, किंग्जवे कैम्प, नई दिल्ली-110009 एवं अपील करने का समय [illegible]

2028

स्पीड पोस्ट

कार्यालय उपायुक्त पुलिस भर्ती शाखा नई पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प दिल्ली–110009

संख्या 2017 / 204 / सि० शा० (वि०) / आर–5/ न्यू पु० ला० दिल्ली दिनांक

सेवा में,

श्री रामकिशोर
पता–डी–2321 फेज रोड
अशोक बाग, नई दिल्ली–110005

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के सन्दर्भ में ।

श्रीमान

उपर लिखित विषय के सन्दर्भ में आपका प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य जोकि इस कार्यालय में दिनांक 24.04.2017 को APIO(PHQ) से पृष्ठांकन संख्या / पीसीस / 29 / विधेत / आईडी–2026 / 2017 / 14488–91 / जागरूकता सेल / पुलिस मुख्यालय दिनांक 26.04.2017 को प्राप्त हुआ था के संदर्भ में सूचना निम्न है –

	प्रश्न	उत्तर
23	दिल्ली पुलिस भर्ती में महिलाओं को कब से सिपाही भर्ती में जनरल केटगिरी में 4 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है और widow/divorced women/judicially separated women को 4 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है बताया जाए विस्तार से ।	दिल्ली पुलिस की भर्ती भर्ती नियमों स्थाई आदेश संख्या 212 के तहत की जाती है जिसमें महिला सिपाही की आयु 18 से 25 के बीच होनी चाहिए व ओबीसी, एससी, एसटी को आयु छूट प्रदान की है । widow/divorced women/judicially separated women महिला उम्मीदवार को 5 साल की छूट दि जाती है ।
24	क्या दिल्ली पुलिस भर्ती में लिंग भेदभाव अपनाया जाता है ।	दिल्ली पुलिस भर्ती में कोई लिंग भेदभाव नहीं किया जाता इसकी भर्ती स्थाई आदेश संख्या 212 के आधार पर की जाती है ।
25	क्या दिल्ली पुलिस भर्ती में धर्म लेकर क्या छूट दी जाती है ।	दिल्ली पुलिस की भर्ती में धर्म लेकर भर्ती नहीं किया जाता है ।

सहायक आयुक्त पुलिस (भर्ती शाखा),
सहायक जन सूचना अधिकारी
भर्ती शाखा न्यू पुलिस लाइन दिल्ली

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत यदि आप इस सूचना के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप इस जवाब के खिलाफ अपील 30 दिन के अन्दर कर सकते है 30 दिन आपके जवाब प्राप्ति के दिन से माने जायेंगे का पूर्ण विचार प्रार्थना आप अतिरिक्त आयुक्त पुलिस (प्रथम अपीलीय अधिकारी), दिल्ली सशस्त्र पुलिस, न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैम्प दिल्ली–110009 के कार्यालय में कर सकते है ।